प्रेस नोट

थाना पूरनपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 22.09.2020 को उप निरीक्षक निर्देश चौहान व हमराह हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पटेल व कांस्टेबल महकार सिंह थाना पूरनपुर द्वारा अभियुक्त संजू उर्फ बल्लभ पुत्र विजयपाल धानुक निवासी मोहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत को एलआईसी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 07 चांदी के सिक्के (जिनमें तीन बड़े 50 ग्राम वाले तथा 4 सिक्के 10 ग्राम वाले), 02 जोड़ी चांदी की पायल, 03 जोड़ी चांदी के बिछुआ तथा 01 सोने का मंगलसूत्र बरामद किए गए जो अभियुक्त संजू उर्फ बल्लभ ने अपने साथी दुर्वेश उर्फ भीमा पुत्र रमेश तेली निवासी मोहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत के साथ मिलकर दिनांक 28/29.08.2020 को श्री राजेश लोधी पुत्र के.एल. लोधी निवासी मोहल्ला कायस्थान थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत के बंद मकान का ताला तोड़कर घर में रखी अलमारी से चोरी किए थे। जिनके संबंध में थाना पूरनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 582/2020 धारा 457/380 आईपीसी पंजीकृत है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता-

संजू उर्फ बल्लभ पुत्र विजयपाल धानुक निवासी मोहल्ला कायस्थान कस्बा थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत।

बरामदगी-

07 चांदी के सिक्के (जिनमें तीन बड़े 50 ग्राम वाले तथा 4 सिक्के 10 ग्राम वाले), 02 जोड़ी चांदी की पायल, 03 जोड़ी चांदी के बिछुआ तथा 01 सोने का मंगलसूत्र।

पुलिस टीम-

1- उप निरीक्षक श्री निर्देश चौहान थाना पूरनपुर

2- हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पटेल थाना पूरनपुर

3- कांस्टेबल महकार सिंह थाना पूरनपुर